माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 563/07/प्रशा0/MSU/2025–26 दिनांक : 19-6-25

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः नाको भारत सरकार द्वारा विभागों के साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 अनुरूप एच0आई0वी0/एड्स विषयक जागरूकता एवं सेवाओं के प्रसार के क्रम में दिनांक 15 मई, 2025 को आयोजित अंतर्विभागीय समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1457/सत्तर–3–2025, दिनांक 18 जून, 2025 के साथ संलग्न अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के पत्र संख्या– एड्स सोसा0/IEC/MS/MOV/2025-26/464, दिनांक 04 जून, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 15 मई, 2025 को परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गयी। जिसमें नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से की गयी चर्चा अनुरूप बैठक का कार्यवृत्त पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिनांक 15 मई, 2025 को परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के खण्ड–ख के बिन्दु 02 पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

19-6-25

(कमल कृष्ण)
का0 कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
02. अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ
03. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव

संख्या-1457/सत्तर-3-2025

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।
2. **कुलसचिव**,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी**,
उ0प्र0।
4. **अपर सचिव**,
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. **निदेशक**,
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।
6. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी**,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 18 जून, 2025

विषय- नाको भारत सरकार द्वारा विभागों के साथ हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 अनुरूप एच0आई0वी0/एड्स विषयक जागरूकता एवं सेवाओं के प्रसार के क्रम में दिनांक 15 मई, 2025 को आयोजित अंतर्विभागीय समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लखनऊ के पत्र संख्या-एड्स सोसा0/IEC/MS/MOV/2025-26/MM/464, दिनांक 04 जून, 2025 (छायाप्रति संलग्न), जो प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संलग्न कार्यवृत्त के अनुरूप बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार अग्रतर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 18-06-2025
13:18:17

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

उ0 प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी
सप्तम तल, मण्डी परिषद भवन, 16– ए0पी0 सेन रोड,
चारबाग, लखनऊ – 226001
दूरभाष: 0522–2638898 वेबसाइट: https://www.upsacs.up.gov.in

संख्या 1457 / 3.6.25

पत्रांक: एड्स सोसा0/IEC/MS/MOU/2025-26/MM/464 दिनांक: 04/06/2025

संख्या 1656/PSHED/2025
दिनांक 6/6/25

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः–नाको, भारत सरकार द्वारा विभागों के साथ हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. अनुरूप एच.आई.वी. /एड्स विषयक जागरूकता एवं सेवाओं के प्रसार के क्रम में दिनांक 15 मई, 2025 को आयोजित अंतर्विभागीय समन्वय बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 15 मई, 2025 को परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गयी।

उक्त बैठक में नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से की गयी चर्चा अनुरूप उक्त बैठक का कार्यवृत्त आपके सुलभ सन्दर्भन हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपसे सादर अनुरोध है कि कार्यवृत्त अनुरूप बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(रवीन्द्र कुमार)
अपर परियोजना निदेशक

वि0स0 (GKT)

06/06/2025
(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

2230/VS(T)/2025
45/S-3

09-6-25
(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

10.6.2025

मेनस्ट्रीमिंग के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षरित MOU अनुरूप विभिन्न विभागों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 15 मई, 2025
स्थान : लोक भवन, सी–ब्लॉक, कक्ष संख्या–114, लखनऊ

उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी द्वारा नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के राज्य स्तर पर क्रियान्वयन को प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिकोण से दिनांक 15.05.2025 को परियोजना निदेशक महोदया, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में आमंत्रित 15 विभागों में से 12 विभागों के निम्न प्रतिनिधियों तथा सोसाइटी अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

क्र0	नाम	पद नाम	विभाग
1	श्री रवीन्द्र कुमार	अपर परियोजना निदेशक	उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखऊ।
2	श्री अनिल तिवारी	आई.टी. स्पेशलिस्ट	आवास एवं शहरी नियोजन
3	श्री ग्रीरीश चन्द्र मिश्रा	अनु सचिव	
4	श्री आलोक यादव	अनु सचिव	गृह एवं गोपन विभाग
5	श्री हीतेन्द्र कृष्णा	डिप्टी एस.पी.	पुलिस
6	श्री सुभाष राम	अनु सचिव	समाज कल्याण
7	श्री निवास द्विवेदी	उप निदेशक	
8	श्री आशीष सिंह	सहायक निदेशक	उच्च शिक्षा/राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार
9	श्री आर.पी. सिंह	अनु सचिव	ग्राम्य विकास
10	श्री संजय कुमार सिंह	उप निदेशक	युवा कल्याण, विभाग
11	श्री आशीष घोष	वरिष्ठ लेखाधिकारी	टेलीकम्यूनिकेशन, विभाग
12	श्री राम ध्यान रावत	उप सचिव	औद्योगिक विकास विभाग
13	श्री आर.एन.सिंह	संयुक्त निदेशक	खेल विभाग
14	सुश्री ज्योतिका लाल	उप निदेशक	दिव्यांगजन सशक्तीकरण, विभाग
15	श्री पुनीत मिश्रा	उप निदेशक	महिला कल्याण विभाग
16	प्रतिनिधि		आई.टी. इलेक्ट्रानिक विभाग
17	श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक–टी.आई. /प्रभारी–आई.ई.सी.	उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी
18	श्री पवन सिंह चन्देल	उप निदेशक	
19	श्री अनुज कुमार दीक्षित	सहायक निदेशक	

बैठक का उद्देश्य:

- एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाना तथा सम्मिलित प्रयासों से विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉ/कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित एच.आई.वी. सघन जागरूकता अभियान एवं विश्व एड्स दिवस के अवसरों पर एच.आई.वी. जन जागरूकता गतिविधियों के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना।
- प्रत्येक विभाग में एच.आई.वी./संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेद–भाव रहित वातावरण एवं शिकायत निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

उक्त बैठक में नाको भारत सरकार स्तर से हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुरूप प्रदेश स्तर पर समस्त विभागों के साथ सामान्य तथा पृथक बिन्दुओं पर चर्चा की गयी एवं आवश्यक निर्देश दिये गये, जो कि निम्नवत् हैं–

क–सामान्य चर्चा बिन्दु/निर्देश (सभी विभागों हेतु)

- एच.आई.वी./एड्स एक्ट, 2017 के तहत समस्त विभागीय इकाईयों एवं संबद्ध संगठनों (जहॉ 100 या अधिक कार्मिक हों) में शीघ्र ही एक शिकायत अधिकारी को नामित करते हुए उसकी सूचना सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाये।

➢ विभागीय वेबसाइट एवं अन्य मुद्रित आई.ई.सी. में एच.आई.वी./एड्स विषयक सामग्री एवं टोल फ्री नम्बर 1097 को प्रदर्शित किया जाये।

➢ एच.आई.वी. रोकथाम विषयक जागरूकता हेतु विभागीय स्तर पर समय–समय पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कार्यशालाओं/बैठकों में एच.आई.वी. जागरूकता सत्र को आयोजित करना है। सर्वप्रथम प्रत्येक विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारियों /कार्मिकों के लिये संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

ख–विभागवार चर्चा बिन्दु/निर्देश

1. युवा कल्याण विभाग–
   - युवा कल्याण विभाग द्वारा जनपदीय/क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकरियों को एच.आई.वी. /एड्स एवं एक्ट पर सोसाइटी के सहयोग से संवेदीकृत किया जाये।
   - सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित सघंन एच.आई.वी. जागरूकता अभियान (दिनांक 12 अगस्त से 12 अक्टूबर, 2025 के मध्य) में युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचल में संचालित मंगल दलों के सहयोग से ग्रामीण स्तरीय बैठकें, डोर टू डोर कैम्पेन में एच.आई.वी. जागरूकता हेतु सत्र आयोजित किये जायें। माइक्रो प्लान तैयार किये जाने हेतु सम्बन्धित के साथ सोसाइटी अधिकारियों द्वारा पुनः बैठक की जाये।
   - ग्रामीण स्तर पर आयोजित खेल–कूद प्रतियोगिता में सोसाइटी के सहयोग से एच.आई.वी. जागरूकता शिविर आयोजित किये जायें।

2. उच्च शिक्षा विभाग–
   - राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा महाविद्यालयों में संचालित रेड रिबन क्लबों के माध्यम से गॉव/मलिन बस्तियों में एच.आई.वी. जागरूकता सत्र/रैली आदि गतिविधियॉ आयोजित की जाये।
   - रेड रिबन क्लब की भांति राष्ट्रीय सेवा योजना के महाविद्यालयों तथा वोकेशनल शिक्षण संस्थानों में युवा क्लब का गठन करते हुए एक संयोजक को नामित किया जाये, जिनके माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालयों में एच.आई.वी. जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाए।
   - शिक्षा विभाग द्वारा लखनऊ के महाविद्यालयों में एच.आई.वी. जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित किये जाने हेतु महाविद्यालयों की सूची सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाये।

3. टेलीकॉम विभाग–
   - एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष अवसरों पर टेलीकॉम विभाग द्वारा निःशुल्क एस.एम.एस. के माध्यम से एच.आई.वी. जनजागरूकता की जाये।
   - विभागीय सम्बन्धित लाइसेन्सीज (नेटवर्क आपरेटर्स) के माध्यम से निःशुल्क एस.एम.एस. एवं बिल पर एच.आई.वी. विषयक जानकारी प्रदर्शित करने पर विचार किया जाये, जिस हेतु संदेश एवं क्रियेटिव सामग्री सोसाइटी द्वारा प्रदान करायी जायेगी।

4. ग्राम्य विकास विभाग–
   - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में एच.आई.वी./एड्स विषय को सम्मिलित किया जाये। इस हेतु राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम के राज्य व जनपद स्तरीय अधिकारियों का तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है।

5. खेल विभाग—

- विभाग द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कालेजों में युवाओं को एच.आई.वी./एड्स विषय पर जागरूक किया जाये। इस हेतु आयोजित की जा रही खेल प्रतियोगिताओं के दौरान एच. आई.वी. जागरूकता स्टॉल/शिविर लगाये जाये तथा खेल विभाग द्वारा निःशुल्क रूप से होर्डिंग बैनर लगाये जा सकते हैं, जिस हेतु सोसाइटी स्तर से क्रियेटिव सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
- विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर के प्रमुख खिलाड़ियों, जो कि यूथ आईकॉन/ इन्फ्लुयेन्सर के रूप में नामित किये जा सकते हैं, उनकी सूची सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाये। अतः उक्त चिन्हित हस्तियों को सोसाइटी द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रचार—प्रसार गतिविधियों से जोड़ा जाये।
- प्रदेश के एच.आई.वी. से सम्बन्धित संवेदनशील जनपदों में नाको, भारत सरकार के निर्देशानुरूप युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत रेड रन मैराथन गतिविधि आयोजित की जानी है। इस हेतु खेल विभाग से समन्वय करते हुए प्रस्ताव प्राप्त किया जाये तथा संयुक्त तत्वाधान में गतिविधि करायी जाये।

6. समाज कल्याण विभाग—

- प्रदेश स्तर पर समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को एच.आई.वी. विषय पर संवेदीकरण किये जाने हेतु कार्यशाला आयोजित की जाये, जिसमें एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों को सामाजिक योजनाओं से जोड़ने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जाये।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धिति विद्यालयों के विद्यार्थियों (कक्षा—9 से 12) के लिये एच.आई.वी., स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि पर जागरूकता सत्र आयोजित किये जाये।

7. गृह विभाग—

- विभाग के अन्तर्गत संचालित पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एच.आई.वी. /एड्स विषय को समावेशित किया जाये, जिससे सम्बन्धित प्रशिक्षण सामग्री सोसाइटी द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
- पुलिस विभाग के सम्पर्क में आये इन्जेक्शन से नशा लेने वाले (Injecting Drug Users) को चिकित्सालयों में संचालित ओ.एस.टी. केन्द्र एवं एच.आई.एच.आई.वी. जॉच एवं उपचार सेवाओं से जोड़ा जाये।
- विभाग के अन्तर्गत समस्त जनपदों में संचालित पुलिस थानों में होर्डिंग/बैनर/वाल राइटिंग जैसी आई.ई.सी. गतिविधि करायी जाये।

8. औद्योगिक विकास विभाग—

- विभाग से सम्बन्धित समस्त औद्योगिक इकाइयों के कार्मिकों एवं श्रमिकों में एच.आई.वी. /एस.टी.आई. जागरूकता हेतु शिविर आयोजित किये जायें, जिसमें सोसाइटी का सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी एच.आई.वी. जॉच एवं उपचार हेतु स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा सकता है।

9. दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग—

- एच.आई.वी. कार्यक्रम से सम्बन्धित विशेष अवसरों जैसे—विश्व एड्स दिवस एवं संघन एच. आई.वी. जागरूकता अभियान में विभागीय सहयोग से दिव्यांगजनों की विभिन्न जागरूकता गतिविधियों/प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता करायी जाये।

- विभाग के अन्तर्गत संचालित विश्वविद्यालयों में एच.आई.वी. जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जायें।
- दिव्यांगजनों विशेषकर मूक बधिर एवं नेत्रहीन व्यक्तियों को एच.आई.वी. के प्रति सहजता से जागरूक किये जाने हेतु एच.आई.वी./एड्स विषयक सामग्री को ब्रेल लिपि व साइन लैग्वेज में विभागीय सहयोग से निर्मित किया जाये। इस हेतु सोसाइटी स्तर से आवश्यक विषय सामग्री विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. आवास एवं शहरी नियोजन–

- विभाग से सम्बन्धित समस्त क्रियाशील इकाइयों/संगठनों को एच.आई.वी./एड्स विषय पर जागरूकता हेतु संवेदीकरण एवं प्रचार–प्रसार किया जाये।

11. आई.टी. इलेक्ट्रानिक विभाग–

- सहज जन सेवा केन्द्रों एवं सी.एस.सी. के पोर्टल पर एच.आई.वी./एड्स सम्बन्धित जानकारी एवं हैल्प लाइन नं0 1097 को प्रदर्शित कराया जाये।

12. महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग–

- विभाग द्वारा संचालित स्पान्सरशिप योजना के तहत एच.आई.वी. संक्रमित एवं प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए आर्थिक लाभ प्रदान किया जाये।
- सोसाइटी द्वारा विभाग को Elimination of vertical Transmission of HIV & Syphilis (EVTHS) मॉड्यूल प्रेषित किया जाये, जिसके अनुरूप विभाग द्वारा ए.एन.एम. /आगंनवाणी कार्यकत्रीयों द्वारा गर्भवती महिलाओं के एम.सी.पी. कार्ड की नियमित मॉनीटरिंग करते हुए एच.आई.वी./सिफलिस जॉच करायी जा सके।

उक्त बैठक का समापन संयुक्त निदेशक–टी.आई./प्रभारी–आई.ई.सी. द्वारा समस्त विभागों से आये हुए अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए किया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
अपर परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी, लखनऊ